न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी : श्री कैलास चन्द्र लखारा, आर.ए.एस

अपील संख्या आर टी ए/210 /2017

उनवान

1. श्री जगदीश पिता घीसू बलाई निवासी सालरमाला तहसील आसीन्द जिला भीलवाडा
2. श्री शिवलाल पिता घीसू बलाई निवासी सालरमाला तहसील आसीन्द जिला भीलवाडा

अपीलाण्ट्स

बनाम

1. मु0 भाली पत्नी कल्याण बलाई निवासी सालरमाला तहसील आसीन्द जिला भीलवाडा
2. श्री राधेश्याम पिता कल्याण बलाई निवासी सालरमाला तहसील आसीन्द
3. मु0 लीला पुत्री कल्याण बलाई पत्नि बक्षु बलाई निवासी मालनास तहसील माण्डल
4. श्री मोहन पिता गिरधारी बलाई निवासी सालरमाला तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा

रेस्पोडण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अपील विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, आसीन्द के प्रकरण संख्या 57/2008 निर्णय एवं डिक्री दिनांक 16.04.2012

अधिवक्तागण :-

1. श्री गोपाल अजमेरा अधिवक्ता अपीलार्थीगण
2. श्री ओम प्रकाश पटवारी प्रत्यर्थी संख्या 3
3. श्री दूदाराम कुमावत एवं श्री भैरूलाल बापना, अधिवक्ता प्रत्यर्थी सं0 4

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाड़ा (राज.)

निर्णय

दिनांक 17.3.2020

(कैलास चन्द्र लखारा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा

1. अपीलाधीन मामले के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि मौजा सालरमाला तहसील आसीन्द में वादी के पिता गिरधारी के भाई उदा पुत्र मोडा बलाई के साबिक सेटलमेन्ट में आराजी नम्बर 263 रकबा 3 बीघा 1 बिस्वा, आ0नं0 265 रकबा 3 बीघा 6 बिस्वा कुल कीता 2 कुल रकबा 6 बीघा 7 बिस्वा भूमि स्थित थी। रीसेटलमेन्ट में आराजीयात के नये नम्बर 482 रकबा 0.65 हैक्टर, आ0नं0 483 रकबा 0.97 है0 में से 0.37 है0, आ0नं0 484 रकबा 0.06 है0 व आ0नं0 485 रकबा 0.22 है0 कुल कीता 4 कुल रकबा 1.30 हैक्टर कायम किये गये। आ0न0 483 रकबा 0.37 है0 रकबा उसकी उक्त दीगर आराजीयात के पास में है। उदा की मृत्यु हो जाने से उसकी विरासत का खाता उसके सगे भाई गिरधारी के पुत्र वादी व प्रतिवादी 3 व 4 के नाम पर खातेदारी हक से दर्ज होना चाहिए था मगर आराजीयात को इनके खाते दर्ज न कर उदा के काका के लड़के नाथू के नाम पर दर्ज कर दी गई जो अवैध व नाजायज होकर कानून की मंशा के विपरीत है। नाथू की मृत्यु के बाद उसकी पुत्री सोहनी के दोनो पुत्र प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 के नाम पर विरासत से दर्ज कर दी गई जो इस समय उन्हीं के नाम पर दर्ज है। जबकि आराजीयात से प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का किसी प्रकार का कोई सम्बन्ध नहीं है और न ही उनका कब्जा है न कभी कब्जा रहा बल्कि आराजीयात पर उदा की मृत्यु के पश्चात बहैसियत वारिस वादी व प्रतिवादी नम्बर 3 व 4 का लगातार कब्जा कास्त व उपभोग चला आ रहा है। इन्हीं कारणों से वादी तथा प्रतिवादी नम्बर 3 व 4 उक्त आराजीयात को प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 के खाते से निरस्त करा अपने खाते में दर्ज कराने के लिए अधिकृत है और इसके लिये वा उनके खिलाफ खातेदारी हक की घोषणात्मक डिक्री प्राप्त प्राप्त करने के लिए अधिकृत है। प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 अपने

(कैलाश चन्द्र लखारा)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा

खाते के बल पर उक्त आराजीयात में वादी के कब्जे में नाजायज तौर पर हस्तक्षेप करते हैं और अपने नाजायज प्रलोभन के आधार पर उक्त आराजीयात को दीगर को अन्तरित व उसका पंजीयन कराने पर उतारू है और मना करने पर लड़ाई झगड़ा करते हैं। बावजूद तकाजा उक्त आराजीयात को वादी व प्रतिवादी नम्बर 3 व 4 के नाम पर दर्ज कराने से इन्कार है। प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 का उक्त कृत्य अवैध व नाजायज होकर कानून की मंशा के विपरीत होने से इससे रूके रहने बाबत उनको स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना आवश्यक है। आराजी मुतदाविया मुन्दर्जे वाद पत्र की कलम नम्बर 3 को प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 के खाते से हटाई जाकर वादी व प्रतिवादी नम्बर 3 व 4 के खाते में खातेदारी हक से दर्ज कराये जाने की घोषणात्मक डिक्री बहक वादी व प्रतिवादी नम्बर 3 व 4 खिलाफ प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 सादीर फरमाई जावे। तथा प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री इस अमर सादीर फरमाई जावे कि वो स्वयं या अन्य द्वारा वादी व प्रतिवादी नम्बर 3 व 4 के कब्जे में नाजायज तौर पर हस्तक्षेप करने करानेव आराजीयात को दीगर को अन्तरित व उसका पंजीयन करने कराने से रूका रहे।

2. अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण पंजिबद्ध किया गया एवं बाद विचारण अपीलाधीन निर्णय द्वारा वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया । जिससे व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

(कैलाश चन्द्र लखारा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा

4. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर बहस में निवेदन किया कि उक्त अनवान की अपील प्रारम्भ में गुलाबपुरा न्यायालय में प्रस्तुत की गई थी तत्पश्चात आसीन्द न्यायालय सृजित हो जाने से पत्रावली वहां अन्तरित कर दी गई जिसकी अपीलान्ट को कोई सूचना नहीं थी एवं अपीलान्ट के अधिवक्ता ने भी इस बाबत सूचित नहीं किया। प्रारम्भ में यह बताया कि वादी का निधन हो चुका है इसलिये जब भी वादी के वारिसान बनेगें तब जवाब प्रस्तुत करने के लिये प्रतिवादी/अपीलान्ट को बुला लेगें परन्तु ऐसी कोई सूचना कभी न्यायालय से अथवा अपीलान्ट के अधिवक्ता से प्राप्त नहीं हुई ऐसी स्थिति में अपीलान्ट को इस सम्पूर्ण कार्यवाही की जानकारी नहीं थी। परन्तु माह जून, 2017 के दूसरे सप्ताह में बारिस होने पर अपीलान्ट अपने हिस्से के खेतों को हकवाने के लिये गया तो रेस्पोडेन्ट राधेश्याम ने यह आपत्ति की कि न्यायालय का फैसला होकर यह पूरी जमीन हमारे नाम पर करने का आदेश हो गया है लेकिन आदेश नहीं बताया। तब अपीलान्ट ने पटवारी हल्का से दिनांक 30.06.2017 को जमाबन्दी की नकल प्राप्त की तब उसमें पाया कि इन्तकाल संख्या 315 दिनांक 09.11.2016 के जरिये 1.30 हैक्टर भूमि गोपी, मोहन पिता गिरधारी बलाई एवं 1.26 हैक्टर जगदीश पिता शिवलाल के नाम पर दर्ज की हुई है तत्पश्चात इसके आधार पर अपीलार्थी ने न्यायालय में दिनांक 06.07.2017 को इस प्रकरण से सम्बन्धित पत्रावली की नकल बाबत आवेदन प्रस्तुत कर नकल प्राप्त की तो इस निर्णय एवं डिक्री का पता लगा, तब अपीलान्ट द्वारा निर्णय एवं डिक्री जैर बहस की जानकारी होते ही बिना किसी देरी के यह अपील प्रस्तुत की जा रही है। अपील प्रस्तुत करने में जानकारी के अभाव में हुई देरी को अपास्त करने बाबत यह

(कैलाश चन्द्र लखारा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाड़ा (राज.)

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत है। अतः अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षम्य किया जावे।

5. मियाद के बिन्दु पर वकील प्रत्यर्थी ने निवेदन किया कि अपीलार्थी को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16.04.2012 से ही जानकारी थी। अपने अधिवक्ता का अधिकार पत्र एवं जवाबदावा अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया तथा पेशीयों पर बराबर उपस्थित रहे। अपीलार्थी को निर्णय की जानकारी होने के बावजूद यह अपील 5 वर्ष से अधिक समय पश्चात यह अपील पेश की है एवं अपील में विलम्ब से प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में कोई ठोस एवं विश्वनीय कारण भी अंकित नहीं किया है। अतः प्रस्तुत अपील बेरून मियाद होने से निरस्त योग्य है।

6. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि एवं तथ्यों के विपरीत होने से खारिज योग्य है। उनका यह भी निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण संशोधित टाईटल प्रस्तुत करने एवं जवाबदावा प्रस्तुत करने हेतु नियत थी । अधीनस्थ न्यायालय में प्रतिवादी संख्या 3 व 4 की ओर से जवाबदावा प्रस्तुत नहीं हुआ एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की ओर से जवाबदावा प्रस्तुत हुआ। जवाबदावे के पश्चात प्रकरण में कोई वाद बिन्दु कायम नहीं किए एवं न ही कोई शहादत वादी एवं प्रतिवादी में किसी गवाह के बयान लिए बगैर सीधे ही बहस सुन कर दिनांक 16.04.2012 को आदेश पारित कर दिया जो विधिसम्मत नहीं होने से खारिज योग्य है।

7. हमनें उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया । अपीलार्थीगण ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम प्रस्तुत कर अपील को अन्दर मियाद मानने का निवेदन किया । अपीलार्थीगण ने अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने का

(कैलाश चन्द्र लखारा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाड़ा (राज.)

जो कारण अंकित किया है उसकी ताईद में अपना शपथ पत्र प्रस्तुत किया है। प्रत्यर्थी की ओर से इसके खण्डन में प्रत्युत्तर प्रस्तुत किया गया है। परन्तु अपीलार्थीगण ने अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने का जो कारण मियाद अधिनियम दफा 5 के प्रार्थना पत्र में अंकित किया है वह सद्‌भावी एवं विश्वसनीय होने से अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार कर अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील को अन्दर मियाद मानी जाती है।

8. विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी के कथन की पुष्टि में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रत्यर्थी संख्या 1 के पति एवं प्रत्यर्थी संख्या 2 व 3 के पिता स्व0 कल्याण पिता गिरधारी बलाई के द्वारा अन्तर्गत धारा 88 व 92 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत अपीलार्थीगण एवं श्री गोपी व मोहन पिता गिरधारी बलाई के विरूद्ध दिनांक 14.02. 2008 को प्रस्तुत किया। जिसे अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 14.02.2008 को ही दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को सम्मन जारी करते हुए आगामी तारीख 03.03. 2008 रखी गई। दिनांक 03.03.2008 को प्रतिवादी संख्या 3 की ओर से अधिवक्ता श्री बलवन्त आमेटा के द्वारा अधिकारपत्र प्रस्तुत किया तथा प्रतिवादी संख्या 04 की ओर से आगामी पेशी पर अधिकार पत्र प्रस्तुत करने हेतु अण्डर टेकिंग दी। प्रकरण आगामी दिनांक 18.03.2008 को प्रतिवादी संख्या 3 के जवाब एवं प्रतिवादी संख्या 4 का अधिकारपत्र प्रस्तुत करने तथा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के बईन्तजार सम्मन हेतु रखी गई।

9. दिनांक 18.03.2008 को प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की ओर से अधिवक्ता श्री मोहम्मद निसार के द्वारा अधिकार पत्र प्रस्तुत किया एवं जवाबदावे हेतु मौका लिया। उक्त दिनांक

(कैलाश चन्द्र लखारा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा

को प्रतिवादी संख्या 04 के विरूद्ध एक पक्षीय आदेश पारित किया गया। प्रकरण आगामी तारीख 22.04.2008 को प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के जवाब हेतु नियत की गई। दिनांक 29.09.2008 को प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की ओर से जवाबदावा प्रस्तुत हुआ तथा प्रतिवादी संख्या 3 के द्वारा जवाबदावे का मौका लिया जिसके लिए आगामी तारीख 6.10.2008 नियत की गई। दिनांक 06.04.2009 को प्रतिवादी संख्या 3 को 100/–रू0 की कोष्ट पर जवाबदावे का अवसर देते हुए आगामी तारीख 20.04.2009 नियत की गई। प्रकरण पर दिनांक 11.08.2009 को वादी कल्याण के फौत होने की सूचना वकील प्रतिवादी के द्वारा दी गई। जिस पर कायम मुकाम आदेश 22 नियम 3 सीपीसी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत हुआ जिसे दिनांक 12.07.2010 को स्वीकार करते हुए स्व0 कल्याण की पत्नि भाली पुत्र राधेश्याम व पुत्री लीला को कायम मुकाम बनाते हुए संशोधित टाईटल प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 09.08.2010 को नियत की गई। दिनांक 27.09.2010 को संशोधित वाद शीर्षक एवं प्रतिवादी संख्या 3 के जवाब दावे हेतु नियत थी परन्तु उक्त दिनांक को अवसर चाहे जाने से आगामी पेशी 13.12.2010 नियत की गई। दिनांक 16.11.2011 को प्रतिवादी संख्या 3 के विरूद्ध एक तरफा आदेश पारित किया गया। प्रकरण आगामी पेशी 19.01.2012 को संशोधित शीर्षक प्रस्तुत करने हेतु नियत की गई। संशोधित शीर्षक दिनांक 22.02.2012 को प्रस्तुत किया गया। इसके पश्चात प्रकरण वाद बिन्दु कायमी हेतु नियत की जानी थी परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा न तो कोई तनकीयात कायम की गई न ही किसी पक्ष वादी एवं प्रतिवादी की कोई साक्ष्य (गवाही) लेकर प्रकरण में प्रस्तुत दस्तावेजों को प्रदर्श कराये बिना सीधे ही दिनांक 26.03.2012 को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 3 व 4 की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजों को शामिल पत्रावली किये जाकर संशोधित

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाड़ा (राज.)

(कैलास चन्द्र लखारा)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपली प्राधिकारी, भीलवाड़ा

टाईटल की नकल वकील विपक्षी को दिलाई जावे। मिसल वास्ते बहस के एवं आदेश दिनांक 16.04.2012 की आदेशिका अंकित करते हुए दिनांक 16.04.2012 को ही अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा आदेश पारित करते हुए वादीगण के वाद को स्वीकार कर डिक्री पारित कर दी गई जो कि व्यवहार प्रक्रिया संहिता की पूर्ण पालना एवं विधिक प्रक्रियाओं को नजर अन्दाज करते हुए इस प्रकार का पारित निर्णय किसी भी दृष्टि से स्वीकार किए जाने योग्य नहीं ठहरता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में दिनांक 16.04.2012 की अन्तिम आदेशिका भी पारित किया जाना प्रकट नहीं होता है। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के द्वारा वाद का खण्डन जरिये जवाब प्रस्तुत किया ऐसी स्थिति में वाद बिन्दु कायम किए जाकर विधिवत वादी एवं प्रतिवादीगण की शहादत ली जाकर दस्तावेजों को प्रदर्श कर उनका उल्लेख अपने निर्णय में तनकीवार करते हुए निर्णय पारित किया जाना चाहिए था परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय आनन–फानन में एवं विधिवत तरीके से पारित नहीं किए जाने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 16.04.2012 का समर्थन नहीं किया जा सकता है।

10. अतः अपील अपीलार्थीगण स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आसीन्द द्वारा अपने प्रकरण संख्या 57/08 में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 16.04.2012 को निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय में प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में जवाब दावे के उपरान्त तनकियात कायम की जाकर उभयपक्ष को शहादत सबूत प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया जाने के उपरान्त में गुणागुवण के आधार पर तनकीवाईज निर्णय पारित करने हेतु प्रकरण अधीनस्थ

(कैलास चन्द्र लखारा)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपली प्राधिकारी, भीलवाड़ा

न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाता है। उभयपक्ष अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 17/4/20 को उपस्थित रहे।

11. निर्णय आज दिनांक 17.03.2020 को सरे इजलास सुनाया गया ।

(कैलाश चन्द्र लाखरा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, भीलवाडा

Signature Not Verified
Digitally signed by Kailash Chandra Lakhara
Date: 2020.03.17 15:02:44 IST
Reason: SelfAttested
Location: